न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–07, जयपुर महानगर द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी : **प्रदीप कुमार द्वितीय, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 300/2025
(सी.आई.एस.संख्या 2590/2025)
रामावतार पुत्र कल्याण शर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी रामसर की ढाणी, थाना तूंगा, जयपुर।

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक।

——–अप्रार्थी

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–226/2024, पुलिस थाना सदर, जयपुर (पश्चिम), अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1. **सर्वश्री दिनेश शर्मा, मदन लाल चौधरी,** विद्वान् अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. **विद्वान अपर लोक अभियोजक**, राज. राज्य की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक 08.10.2025**

1. प्रार्थी/अभियुक्त–**रामावतार** की ओर से हस्तगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भा.ना.सु.सं के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त प्रार्थना पत्र विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी हेमन्त कुमार जैन की ओर से न्यायालय के समक्ष परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी के परिचित भवानीशंकर शर्मा उर्फ भानू ने सुनिल

पारीक पुत्र राधेश्याम पारीक एवं प्रमोद पारीक पुत्र प्रहलाद पारीक से दिनांक 01.11.23 को मिलवाया व ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में कृषि भूमि की बेचवाली बताई और परिवादी को मौके पर भूमि दिखाई, जो कि नरायणा से दूदू रोड़ पर स्थित है, जिसे उन्होंने बाजार से कम रेट पर लिवाने के सब्जबाग दिखाकर परिवादी को अपने भरोसे में लेकर भूमि कय करने के लिए राजी कर लिया तथा भवानी शंकर शर्मा उर्फ भानू व प्रमोद पारीक दिनांक 04.11.23 को भॅंवर शर्मा, रामाअवतार, शंकरलाल गुर्जर, घासी गुर्जर, भूरी गुर्जर, भॅंवर शर्मा, रामबाबू शर्मा को लेकर परिवादी के घर पर आये तथा परिवादी के साथ दो पृथक–पृथक ईकरारनामा किये, जिसमें एक इकरारनामा रूपये 05,39,20,000/–रूपये की एवज में आराजी कृषि भूमि ग्राम नरायणा, पटवार हल्का नरायणा–ए, तहसील फुलेरा में खसरा नंबर 3485 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3486 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3487 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3488 रकबा 0.0506 2529 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3489 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3490 रकबा 0.3035 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3491 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3492 रकबा 1.2392 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3493 रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3494 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि, खसरा नंबर 3700 रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो कुल 11 खसरे कुल रकबा 5.2478 हैक्टेयर है, जो राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल के नाम से हिस्सा 29/36 भूमि बेचान का ईकरारनामा दिनांक 04.11.23 को किया एवं दूसरा ईकरारनामा पृथक से इसी भूमि का डी.एल.सी. रेट के अनुसार 01,01,00,000/–रूपये की एवज में बेचान करने का दिनांक 04.11.2023 को लिखा गया। दोनो ईकरारनामों पर विकेता मोहनलाल नाम से हस्ताक्षर किये गये एवं गवाहान में शंकरलाल गुर्जर, घासी, भूरी पत्नी प्रभु गुर्जर ने हस्ताक्षर किये तथा दिनांक 04.11.23 को परिवादी से ईकरारनामा लेखबद्ध कर जरिये चैक संख्या 81010 दिनांकित 04.11.23 के 60,00,000/–रूपये एस.बी.आई.बैंक शाखा गोपालबाड़ी, जयपुर से परिवादी ने अपने खाते से निकालकर तथा दिनांक 04.11.23 को ही जरिये चैक संख्या 878946/04.11.23 के राशि 15,00,000/– रूपये परिवादी के पुत्र हर्ष जैन के खाते से निकालकर,

अन्य अभियुक्तगण भवानी शंकर शर्मा उर्फ भानू, सुनील पारीक, प्रमोद पारीक, भॅंवर शर्मा, रामबाबू शर्मा, रामावतार, शंकर लाल गुर्जर, घासी गुर्जर व भूरी गुर्जर के समक्ष दिये। दिनांक 19.12.23 को राशि 05,00,000/–रूपये जरिये बियरर चैक संख्या 81016 के, दिनांक 30.01.24 को जरिये बियरर चैक संख्या 81018 के राशि 02,00,000/–रूपये, दिनांक 20.03.24 को जरिये बियरर चैक संख्या 81022 के राशि 04,70,000/–रूपये, अभियुक्त मोहनलाल द्वारा प्राप्त किये गये। परिवादी द्वारा परिवादी द्वारा उक्त ईकरारनामे की अनुसरण में कुल राशि 86,70,000/ रूपये उपरोक्तानुसार एवं 13,30,000/–रूपये जरिये चैक संख्या 81024 दिनांक 30.05.24 के मोहनलाल के नाम से सुनील पारीक ने प्राप्त कर लिए।

परिवाद में यह भी कथन किये कि दिनांक 01.05.24 को परिवादी ने उक्त खरीद की गई भूमि के तकास्मे के संदर्भ में भवानीशंकर शर्मा को फोन किया, तब भवानीशंकर ने परिवादी को अपने मोटर गैरेज पर बुलाया, जहां सुनिल पारीक व प्रमोद शर्मा वहां पहले से मौजूद थे, जिन्होंने तकास्मा करवाने के लिए कतई मना कर दिया, जिस पर परिवादी ने भूमि खरीद करने से मना कर दिया व बकाया भुगतान नहीं करने एवं परिवादी द्वारा किया गया सौदा निरस्त कर परिवादी द्वारा उक्त भूमि पेटे दी गई राशि लौटाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके लगाये गये रूपये मय हर्जा–खर्चा वापस कर देंगे, किन्तु राशि नहीं लौटाई। परिवादी द्वारा बार–बार उक्त अनुबंध पेटे दी गई राशि लौटाने व सौदा निरस्त करने के लिए तकाजा करने पर भवानी शंकर शर्मा ने परिवादी द्वारा दी गई राशि 86,70,000/–रूपये के एवज में 01,10,00,000/–रूपये देने का अनुबंध दिनांक 12.05.24 को किया जाकर भवानीशंकर शर्मा ने राशि 01,10,00,000/–रूपये का एक चैक संख्या 122648 दिनांक 20.06.24 का बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मानसरोवर, जयपुर का परिवादी को दिया। उक्त चैक परिवादी द्वारा बैंक में पेश करने पर दिनांक 24.06.24 को मय रिटर्न मीमो अभियुक्त भवानीशंकर के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण लौटा दिया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त से बात करने पर रूपये लौटाने में टालमटोल करता रहा।

परिवादी द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि जो भूमि खातेदार के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी मोहनलाल बनकर परिवादी के साथ ईकरारनामा किया गया है, वह खातेदार मोहनलाल न होकर अन्य व्यक्ति रामावतार है और सारे गवाह भी फर्जी है। परिवादी को बेची गई भूमि के विक्रेता एवं गवाह मूल खातेदार नहीं है और ये सभी अलग–अलग नामों से फर्जी आधार कार्ड व फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ फर्जकारी कर ठगी करते हैं। उक्त सभी अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ छल, कपट व धोखा कर बेईमानीपूर्वक एकराय होकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी खातेदार मोहनलाल के स्थान पर रामावतार शर्मा नामक व्यक्ति को मोहनलाल बनाकर एवं मोहनलाल बनकर फर्जी व जाली दस्तावेज व फर्जी आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड बनाकर व फर्जी गवाह बनाकर परिवादी के साथ छल कपट कर 86,70,000/–रूपये अभियुक्तगण ने हड़प लिये एवं राशि 13,30,000/–रूपये का एक चैक अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि सुनिल के कब्जे में है।......इत्यादि।

3. उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस थाना सदर, जयपुर को प्रेषित किया गया, जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 226/2024 अंतर्गत धारा 384, 406, 416, 419, 420, 467, 468, 471, 506 व 120बी भा.दं.सं. के अपराध में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भा.दं.सं. के अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानकर उसे गिरफ्तार किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–4, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437/480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र को उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2025 को खारिज कर दिये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

4. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फसाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त अपराध से कोई सरोकार व संबंध नहीं है। उक्त प्रकरण ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसकी सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय हो। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है एवं पुलिस थाना सदर जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में चार्जशीट पेश की जा चुकी है, जिसमें अभियुक्त रामावतार के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी के अपराध में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। पत्रावली बहस चार्ज हेतु नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त से अब कोई बरामदगी व तफ्तीश करना शेष नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध अब चालान प्रस्तुत हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब किसी प्रकार का कोई अनुसंधान शेष नहीं रहा है। उक्त प्रकरण में विचारण में लंबा समय लगने की पूर्णतः संभावना है। ऐसी स्थिति में आपराधिक जमानत सिद्धांतों और माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिपादित जमानत सिद्धांतों सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सीबीआई 2022 व के.ए.नजीब, खेतसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 की रोशनी में जमानत का लाभ दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत–मुचलके पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

6. जबकि विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित मानकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र पेश किया गया है तथा मात्र आरोपपत्र पेश हो जाने मात्र से प्रकरण की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

7. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रार्थी/मुलजिम पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्त रामावतार को मोहन पुत्र छीतर होना दर्शित करते हुए मोहनलाल का कूटरचित आधार कार्ड व पैन कार्ड मुर्तिब कर परिवादी के साथ कृषि भूमि का विक्रय ईकरारनामा करके व एक करोड़ रूपये की राशि नकद व चैक के माध्यम से ठगी करने के गंभीर अपराध के संबंध में 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं तथा इन्हीं अपराधों में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम जमानत भी इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिसके पश्चात् प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होना दर्शित नहीं है।

वर्तमान समय में जमीन क्रय–विक्रय में धोखाधड़ी के मामले अत्यधिक रूप से बढ़ हैं, जिससे समाज में सम्पत्तियों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण शंकरलाल, श्रीमती पूजा, विक्रम सिंह, भवानी शंकर उर्फ भानू की पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत खारिज की जा चुकी है तथा सुनील कुमार पारीक की द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र व अभियुक्त रामावतार की प्रथम जमानत प्रार्थना भी इस न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है।

9. अतः बाद गौर, उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बगैर कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आ दे श</u>

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त–**रामावतार** पुत्र कल्याण शर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी रामसर की ढाणी, थाना तूंगा, जयपुर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम–07,जयपुर महानगर द्वितीय

11. आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
अपर सेशन न्यायाधीश
कम–07,जयपुर महानगर द्वितीय